समक्ष पी.सी जैन, ए.सी.जे और डी.एस तेवतिया, जे. पी.सी वाधवा- याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाण राज्य और अन्य- उत्तरदाता पत्र पेटेंट अपील संख्या 748/1983

10 अगस्त 1984

अखिल भारतीय सेवाएं (गोपनीय नामावली) नियम, 1970-नियम 2(ए)(ई) और (एफ)-पंजाब

पुलिस नियम 1934, खंड ।-नियम 1.2-हरियाणा सरकार के व्यवसाय के नियम, 1977-नियम 18 और 19 - सरकार के गृह सचिव द्वारा पुलिस महानिरीक्षक की गोपनीय रिपोर्ट दर्ज करना - गृह सचिव - क्या नियम 2(ई) के तहत 'रिपोर्टिंग प्राधिकारी' माना जा सकता है - 'तत्काल वरिष्ठ' प्राधिकारी शब्दों का अर्थ - समझाया गया - गोपनीय रिपोर्ट पुलिस महानिरीक्षक के - किसके द्वारा दर्ज किया जाए - गोपनीय रिपोर्ट लिखने के लिए कुछ प्राधिकारियों को विशेष रूप से सशक्त बनाने के सिद्धांत - बताए गए - सरकार के व्यवसाय के नियम - क्या गृह सचिव को प्लिस महानिरीक्षक के पद से वरिष्ठ माना जाए। माना गया कि अखिल भारतीय सेवा (गोपनीय नामावली) नियम, 1970 के नियम 2(ई) को पढ़ने से पता चलता है कि इन खंडों के तहत दो अलग-अलग प्राधिकरणों की परिकल्पना की गई है। पहले भाग के तहत, रिपोर्टिंग प्राधिकारी वह होना चाहिए जो उस अधिकारी से त्रंत बेहतर हो जिसकी गोपनीय रिपोर्ट लिखी जानी है, जबकि दूसरे भाग के तहत प्राधिकारी वह होना चाहिए जिसे गोपनीय रिपोर्ट लिखने के लिए सरकार द्वारा विशेष रूप से सशक्त किया गया हो। नियम 2 के खंड (एफ) और (ए) के तहत स्थिति भी ऐसी ही है। नियम 2 (ई) द्वारा परिकल्पित 'तत्काल श्रेष्ठ' शब्द के प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से सेवा की एक ही पंक्ति का एक वरिष्ठ अधिकारी होना चाहिए, न कि किसी अन्य पंक्ति से या सेवा से। 'तत्काल श्रेष्ठ' शब्द का उपयोग करके एक स्पष्ट संकेत दिया गया है कि प्राधिकारी एक ही सेवा से होना चाहिए और संदर्भ में 'तत्काल' शब्द का अर्थ पंक्ति या संबंध में अगला होना होगा जबिक 'श्रेष्ठ' शब्द का अर्थ होगा एक अधिकारी जो रैंक, स्थिति या कार्यालय में दूसरे से ऊपर है। किसी भिन्न सेवा का अधिकारी उस भिन्न सेवा के व्यक्ति से तत्काल वरिष्ठ अधिकारी नहीं हो सकता जिसकी रिपोर्ट उसे लिखनी हो। यह समझ से परे है कि नियम 2(ई) के पहले भाग के तहत भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी, चाहे वह कितना भी वरिष्ठ क्यों न हो, एक पुलिस अधिकारी से तुरंत वरिष्ठ अधिकारी बन जाएगा, खासकर जब

दोनों सेवाएं पूरी तरह से अलग हों। पुलिस बल में पुलिस महानिरीक्षक सर्वोच्च पद धारण करता है और पंजाब पुलिस नियम, 1934, खंड । के नियम 1.2 के तहत विभाग का प्रमुख होता है। राज्य में पुलिस बल निरीक्षक के पूर्ण नियंत्रण में है- सामान्य और उसके बाद अधीक्षण की शक्ति राज्य सरकार को दी गई है। पुलिस अधिनियम और नियमों के तहत गृह सचिव का कहीं उल्लेख नहीं है। मामले के इस दृष्टिकोण में, गृह सचिव अपीलकर्ता का तत्काल वरिष्ठ प्राधिकारी नहीं है, जो खंड 2 (ई) के पहले भाग के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए गोपनीय रिपोर्ट लिखने की गारंटी दे सकता है और इस तरह वह पुलिस महानिरीक्षक के रिपोर्टिंग प्राधिकारी नहीं हो सकता है।

यह माना गया कि पदानुक्रम में पुलिस महानिरीक्षक से तत्काल ऊपर कोई प्राधिकारी नहीं है। ऐसा होने पर, सख्ती से कहें तो, कोई प्राधिकारी नहीं है जो खंड (ई) के पहले भाग के तहत उक्त अधिकारी की गोपनीय रिपोर्ट लिख सके। लेकिन अधीक्षण और नियंत्रण सरकार का होने के कारण, एक निष्पक्ष और निष्पक्ष निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि गृह मंत्री, जो गृह विभाग का प्रभारी है, जिसकी पुलिस विभाग भी एक शाखा है, तत्काल वरिष्ठ प्राधिकारी होगा और नियमावली के खंड 2(ई) के प्रथम भाग के अंतर्गत गोपनीय रिपोर्ट लिख सकता है।

यह माना गया कि गोपनीय रिपोर्ट हमेशा उस अधिकारी के रैंक और स्थित में वरिष्ठ प्राधिकारी द्वारा लिखी जाती है जिसकी रिपोर्ट लिखी जानी है। यह समझ से परे है कि पुलिस उप महानिरीक्षक या पुलिस अधीक्षक या कोई अन्य प्राधिकारी पुलिस महानिरीक्षक की गोपनीय रिपोर्ट लिखने के लिए रैंक और स्थित में निचले स्तर के व्यक्ति को विशेष रूप से अधिकृत किया जा सकता है। जिस प्राधिकारी को गोपनीय रिपोर्ट लिखने की आवश्यकता होती है, उसे अधिकारी के काम को जानने और देखने का लाभ होना चाहिए। जब प्रथम भाग के अंतर्गत प्राधिकारी को स्थिति में श्रेष्ठ होना होता है। तब निश्चित रूप से सरकार को अधिकार निर्दिष्ट करते समय स्थिति की श्रेष्ठता का ध्यान रखना होगा। मामले के इस दृष्टिकोण में, यह निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए कि खंड 2 (ई) के दूसरे भाग के तहत निर्दिष्ट किया जाने वाला प्राधिकारी उस अधिकारी से स्थिति और रैंक में बेहतर होना चाहिए जिसकी गोपनीय रिपोर्ट लिखी जानी है।

माना गया कि, हरियाणा सरकार के कामकाज के नियम, 1977 के अनुसार, 'राज्य सरकार' का अर्थ है विभिन्न विभागों के मंत्रिपरिषद/प्रभारी मंत्री। सचिव केवल सीमा तक सरकार की ओर से कार्य करते हैं और कार्य करते हैं। नियमों के नियम 18 और 19 के तहत उनके द्वारा जारी स्थायी आदेशों में संबंधित विभाग के प्रभारी मंत्रियों द्वारा उन्हें शक्तियां दी गई हैं। सचिव विभाग का प्रशासनिक प्रमुख है और उसके पास अपनी कोई सरकारी शक्तियां

और कार्य नहीं हैं और यदि किसी भी व्यवसाय का निपटान विभाग के सचिव द्वारा किया जाना अपेक्षित है और ऐसा सचिव सरकार की ओर से केवल प्रभारी मंत्री द्वारा स्थायी आदेशों में दी गई शक्ति की सीमा तक कार्य करता है। राज्य द्वारा जारी किए गए स्थायी आदेश गृह मंत्री को प्रस्तुत किए जाने वाले मामलों के प्रकार, गृह सचिव द्वारा निपटाए जाने वाले मामलों के प्रकार, उप सचिव, गृह द्वारा निपटाए जाने वाले मामलों के प्रकार और के प्रकार को दर्शाते हैं। प्रकरणों का निस्तारण अनुभाग अधिकारी, गृह द्वारा किया जायेगा। यह सही है कि प्रशासन के उद्देश्य से पुलिस विभाग को गृह विभाग के एक भाग के रूप में दिखाया गया है और पुलिस विभाग से संबंधित कुछ नियमित फाइलें गृह सचिव द्वारा निपटाई जाती हैं, लेकिन यह सब इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता है कि गृह सचिव, किसी भी तरह से, पुलिस महानिरीक्षक से बेहतर स्थिति में होता है, जिसके पास पुलिस विभाग का पूर्ण स्वतंत्र प्रभार होता है।यह देखना उचित है कि व्यावसायिक नियमों के तहत, गृह सचिव के पास पुलिस के राजपत्रित अधिकारियों के संबंध में किसी भी अनुशासनात्मक मामले से निपटने की कोई शक्ति नहीं है। इस प्रकार यह माना जाना चाहिए कि गृह सचिव का दर्जा पुलिस महानिरीक्षक से ऊंचा नहीं है।

माननीय श्री न्यायमूर्ति आईएस तिवाना द्वारा दिनांक 13 जुलाई, 1983 को दिए गए फैसले के खिलाफ लेटर्स पेटेंट अपील के खंड 10 के तहत अपील।

पीसी वाधवा, व्यक्तिगत रूप से अपीलकर्ता।

हरभगवान सिंह ए.जी.(एच), पी.एस दुहान, डी.ए.जी.(एच) के साथ

निर्णय

प्रेम चंद जैन, ए.सी.जे. :

- 1. पी.सी. वाधवा ने इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के 13 जुलाई, 1983 के फैसले के खिलाफ लेटर्सपेटेंट के खंड 10 के तहत अपील दर्ज की है जिसमे रिट याचिका संख्या 4691/1982 को ख़ारिज कर दिया था।
- 2. उठाए गए प्रश्न की सराहना करने और निर्णय लेने के लिए, जो हमारे विचार में कुछ जिटलता का है, मामले की कुछ मुख्य विशेषताओं पर ध्यान देना आवश्यक है जो निम्नानुसार हैं।
- 3. अपीलकर्ता, भारतीय पुलिस सेवा का एक सदस्य, 30 जून, 1979 से 25 जुलाई, 1980 तक हरियाणा के प्लिस महानिरीक्षक के रूप में कार्य किया, - डीओ पत्र संख्या एफसीएच/88, दिनांक 4 मई, 1982 के अनुसार, कुछ प्रतिकूल 30 जून, 1979 से 31 मार्च, 1980 की अवधि से संबंधित उनके गोपनीय रोल की टिप्पणियाँ, हरियाणा सरकार के गृह विभाग के सचिव द्वारा उन्हें बताई गईं। उक्त गोपनीय रिपोर्ट को अखिल भारतीय सेवा (कॉन्फिडेंस रोल्स) नियम, 1970 (इसके बाद 'नियम' के रूप में संदर्भित) के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत स्वीकार किया गया था। हालाँकि अपीलकर्ता ने इस प्रतिकृल रिपोर्ट के खिलाफ सरकार को एक अभ्यावेदन देने की इच्छा व्यक्त की, फिर भी वह ऐसा करने में विफल रहा और इसके बजाय, - अपने पत्र, दिनांक 15 जून 1982 के माध्यम से रिपोर्टिंग, समीक्षा करने और स्वीकार करने वाले अधिकारियों की पहचान के संबंध में जानकारी मांगी गई, जिसे सरकार ने भारत सरकार के पत्र संख्या 34/5/71 के आलोक में प्रकट करने से इनकार कर दिया। एआईएस-III, दिनांक 9 अगस्त, 1972। अपीलकर्ता ने नियमों के नियम 9 के तहत परिकल्पित कोई भी प्रतिनिधित्व दाखिल नहीं किया और प्राथमिक चुनौती के साथ 1982 का सीडब्ल्यूपी नंबर 4691 दाखिल करना च्ना कि राज्य सरकार का गृह सचिव नहीं था। प्राधिकारी उनसे त्रंत वरिष्ठ थे और उनसे कनिष्ठ थे और इस प्रकार, पुलिस महानिरीक्षक के रूप में उनके काम और आचरण पर टिप्पणी करने या रिपोर्ट करने में सक्षम नहीं थे।
- 4. प्रतिवादियों की ओर से याचिका का विरोध किया गया।
- 5. उठाए गए बिंदुओं पर, संबंधित नियमों पर विचार करने पर विद्वान एकल न्यायाधीश ने पाया कि नियमों के नियम 2 (ई) के अनुसार यह पूरी तरह से राज्य सरकार के लिए था कि वह किसी प्राधिकारी को अपीलकर्ता का रिपोर्टिंग प्राधिकारी बनने के लिए विशेष रूप से सशक्त बनाए। सरकार के गृह सचिव को इन नियमों के तहत इतना

- अधिकृत या सशक्त किया गया है और नियमों की वैधता या वैधता के लिए कोई चुनौती नहीं है, अपीलकर्ता यह तर्क नहीं दे सकता है कि गृह सचिव उनके रिपोर्टिंग प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के हकदार नहीं थे। कुछ अन्य बिंदु भी उठाए गए थे, जिनका हम विशेष रूप से संदर्भ नहीं दे सकते, क्योंकि उन्हें अपीलकर्ता द्वारा हमारे सामने नहीं रखा गया था, जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से अपने मामले पर बहस की थी।
- 6. एकमात्र बिंदु जिस पर हमें निर्णय लेने की आवश्यकता है वह यह है कि नियम 2(ई) के तहत सरकार द्वारा पुलिस महानिरीक्षक के रिपोर्टिंग प्राधिकारी के रूप में किसे विशेष रूप से सशक्त किया जा सकता है। विवाद का निर्णय करने के लिए, नियम 2 के खंड (ई), (एफ) और (ए) के प्रावधानों पर ध्यान देना आवश्यक है जो इन नियमों के प्रयोजनों के लिए 'रिपोर्टिंग', 'समीक्षा' और 'स्वीकार करने' वाले अधिकारियों को परिभाषित करते हैं:—
 - "(ई) 'रिपोर्टिंग प्राधिकारी' का अर्थ वह प्राधिकारी है, जो उस अविध के दौरान, जिसके लिए गोपनीय रिपोर्ट लिखी गई है, सेवा के सदस्य और ऐसे अन्य प्राधिकारी से तुरंत विरष्ठ था, जिसे सरकार द्वारा इस संबंध में विशेष रूप से सशक्त किया जा सकता है;
 - (एफ) 'समीक्षा प्राधिकारी' का अर्थ वह प्राधिकारी है, जो उस अविध के दौरान, जिसके लिए गोपनीय रिपोर्ट लिखी गई है, रिपोर्टिंग प्राधिकारी और ऐसे अन्य प्राधिकारी से तुरंत वरिष्ठ था, जिसे सरकार द्वारा इस संबंध में विशेष रूप से सशक्त किया जा सकता है;
 - (ए) 'स्वीकार करने वाले प्राधिकारी' का अर्थ वह प्राधिकारी है, जो उस अवधि के दौरान, जिसके लिए गोपनीय रिपोर्ट लिखी गई है, समीक्षा करने वाले प्राधिकारी और ऐसे अन्य प्राधिकारी से तुरंत बेहतर था, जिसे सरकार द्वारा इस संबंध में विशेष रूप से सशक्त बनाया जा सकता है।"
 - शुरुआत में यह देखा जा सकता है कि नियमों या ऊपर दिए गए प्रावधानों की शक्ति, वैधता या वैधानिकता को कोई चुनौती नहीं है। अपीलकर्ता का मुख्य तर्क खंड (इ) में 'रिपोर्टिंग प्राधिकारी' की परिभाषा के बाद के भाग पर आधारित था। इस खंड के तहत वे दो रिपोर्टिंग प्राधिकरण हैं, यानी, (i) जो सेवाओं के सदस्य से तुरंत बेहतर है, और (ii) ऐसे अन्य प्राधिकरण जिन्हें सरकार द्वारा इस संबंध में विशेष रूप से सशक्त बनाया जा सकता है। हमारे समक्ष अपीलकर्ता का पूरा मामला यह था कि गृह सचिव को खंड (ई) के उत्तरार्ध के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकार द्वारा 'रिपोर्टिंग प्राधिकारी' के रूप में विशेष रूप से सशक्त नहीं किया जा सकता है। अपीलकर्ता द्वारा यह तर्क देने की मांग की गई थी कि पहले भाग में गोपनीय रिपोर्ट

सेवा के सदस्य से तुरंत वरिष्ठ प्राधिकारी द्वारा लिखी जा सकती है; कि गृह सचिव अपीलकर्ता का तत्काल वरिष्ठ प्राधिकारी नहीं था; दूसरे भाग के तहत सरकार विशेष रूप से उस प्राधिकारी को पुलिस महानिरीक्षक की गोपनीय रिपोर्ट लिखने का अधिकार दे सकती है, जो या तो रैंक या स्थिति में भाग एक में निर्दिष्ट तत्काल वरिष्ठ प्राधिकारी के बराबर था, या उस प्राधिकारी से उच्चतर था और वह खंड (ई) के दूसरे भाग में यह परिकल्पना नहीं की गई है कि सरकार द्वारा किसी प्राधिकारी को पुलिस महानिरीक्षक की गोपनीय रिपोर्ट लिखने का अधिकार दिया जा सकता है।

- 7. दूसरी ओर, विद्वान महाधिवक्ता श्री हरभगवान सिंह ने प्रस्तुत किया कि प्रासंगिक नियम के दूसरे भाग के तहत राज्य सरकार किसी भी प्राधिकारी को, चाहे वह रैंक या स्थित में कनिष्ठ भी क्यों न हो, रिपोर्टिंग प्राधिकारी बनने का अधिकार दे सकती है, कि तत्काल यदि गृह सचिव को एक वरिष्ठ प्राधिकारी होने के नाते उचित ही नियुक्ति प्राधिकारी निर्दिष्ट किया गया था; कि अपीलकर्ता ने संबंधित नियम की शक्ति, वैधता या वैधानिकता को चुनौती नहीं दी है और गृह सचिव को एक वैध नियम द्वारा दी गई शक्ति के प्रयोग में 'रिपोर्टिंग प्राधिकारी' के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, वह कानूनी रूप से अपीलकर्ता की गोपनीय रिपोर्ट लिख सकते हैं।
- 8. यह पता लगाने के लिए कि कौन सा तर्क अधिक ठोस, आकर्षक और प्रशंसनीय है, ऊपर दिए गए खंडों के प्रावधानों का विश्लेषण करना आवश्यक है। इन प्रावधानों के अवलोकन से पता चलता है कि इन धाराओं के तहत दो अलग-अलग प्राधिकरणों की परिकल्पना की गई है। खंड (ई) में पहले भाग के तहत रिपोर्टिंग प्राधिकारी वह होना चाहिए जो उस अधिकारी से त्रंत वरिष्ठ हो जिसकी गोपनीय रिपोर्ट लिखी जानी है, जबिक दूसरे भाग के तहत, प्राधिकारी वह होना चाहिए जिसे सरकार द्वारा विशेष रूप से सशक्त किया गया हो गोपनीय रिपोर्ट लिखें। नियम 2 के खंड (एफ) और (ए) के तहत भी यही स्थिति है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि यह न केवल तत्काल वरिष्ठ प्राधिकारी है जो सेवा के किसी सदस्य के कार्य और आचरण पर टिप्पणी करने और रिपोर्ट करने का हकदार है, बल्कि एक अन्य प्राधिकारी भी हो सकता है जिसे सरकार द्वारा ऐसा करने के लिए विशेष रूप से सशक्त किया जा सकता है। . यह प्रश्न कि दो प्राधिकरणों की परिकल्पना क्यों की गई है, आसानी से उत्तर दिया जा सकता है क्योंकि ऐसे अधिकारी भी हो सकते हैं जिनके मामलों में कोई तत्काल वरिष्ठ प्राधिकारी नहीं हो सकता है या तत्काल वरिष्ठ प्राधिकारी पक्षपाती हो सकता है और उससे यह पूछने के लिए उचित और उपयुक्त नहीं हो सकता है गोपनीय रिपोर्ट लिखें या सरकार किसी विशेष अधिकारी के काम और आचरण पर किसी अन्य स्वतंत्र प्राधिकारी की राय लेना चाहे।

- 9. विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष अपीलकर्ता का रुख यह था कि गृह सचिव उनके रिपोर्टिंग प्राधिकारी के रूप में कार्य नहीं कर सकते थे और उनकी इस दलील को विदवान एकल न्यायाधीश ने इस आधार पर खारिज कर दिया था कि यह नियम 2 (ई) के उत्तरार्ध के तहत था। गृह सचिव ने अपीलकर्ता की गोपनीय रिपोर्ट लिखी थी और यह न्यायालय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों की बुद्धिमता या समीचीनता या उक्त नियम के तहत अपनी शक्ति के प्रयोग में रिपोर्टिंग प्राधिकारी के रूप में विशेष प्राधिकारी की निय्क्ति या विनिर्देश से चिंतित नहीं है। एक बार जब किसी रिपोर्टिंग प्राधिकारी को सशक्त बनाने या निय्क्त करने की राज्य सरकार की योग्यता संदेह में नहीं है या किसी वैध नियम के लिए संदर्भित है, तो उस शक्ति का प्रयोग स्पष्ट रूप से इस आधार पर सफलतापूर्वक लागू नहीं किया जा सकता है कि यह उल्लंघनकारी या नियम के विपरीत है। या नियम जिसके तहत इसका प्रयोग किया जाता है। नियम 2(ई) के अनुसार यह पूरी तरह से राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह किसी प्राधिकारी को अपीलकर्ता का रिपोर्टिंग प्राधिकारी बनने के लिए विशेष रूप से सशक्त बनाए। गृह सचिव को इस नियम के तहत इतना अधिकृत या सशक्त किया गया है और नियम की वैधता या वैधता के लिए कोई च्नौती नहीं है, अपीलकर्ता यह तर्क नहीं दे सकता है कि गृह सचिव उनके रिपोर्टिंग प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के हकदार नहीं थे।
- 10.श्री वाधवा अपीलकर्ता ने उपरोक्त निष्कर्ष की सत्यता को चुनौती देते हुए प्रस्तुत किया था कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस आधार पर उनके तर्क को अस्वीकार करने में गलती की थी कि रिपोर्टिंग प्राधिकारी के रूप में गृह सचिव की नियुक्ति नियम 2 (ई) के उत्तरार्ध के संदर्भ में थी जिसकी वैधता या वैधानिकता को चुनौती नहीं दी गई थी। जैसा कि अपीलकर्ता के तर्क से स्पष्ट है, मुख्य या एकमात्र बिंदु जो सामने लाने की कोशिश की गई वह यह था कि गृह सचिव अपीलकर्ता की गोपनीय रिपोर्ट को पहले भाग के तहत नहीं लिख सकते थे क्योंकि वह उनके तत्काल वरिष्ठ प्राधिकारी नहीं थे और यदि इसके तहत खंड (ई) के दूसरे भाग में केवल वही प्राधिकारी गोपनीय रिपोर्ट लिख सकता है जो पहले भाग में निर्दिष्ट प्राधिकारी के समकक्ष या उच्च स्तर का हो, फिर गृह सचिव को विशेष रूप से अपीलकर्ता की गोपनीय रिपोर्ट लिखने का अधिकार नहीं दिया जा सकता है।
- 11.पूरे मामले पर गहन विचार करने पर मुझे अपीलकर्ता के तर्क में काफी दम नजर आया। जैसा कि विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले से स्पष्ट है, यह प्रश्न कि अपीलकर्ता की गोपनीय रिपोर्ट कौन लिख सकता है या, दूसरे शब्दों में, खंड (ई) के पहले भाग के तहत अपीलकर्ता का तत्काल वरिष्ठ प्राधिकारी कौन है, नहीं था में

चला गया क्योंकि ऐसा करना आवश्यक नहीं था। लेकिन, मेरे विचार में, किसी सही निष्कर्ष पर पह्ंचने के लिए, पहले यह निर्धारित करना नितांत आवश्यक है कि अपीलकर्ता का तत्काल वरिष्ठ प्राधिकारी कौन है। जैसा कि मैं नियम 2 के खंड (ई) की भाषा को देखता हं, मुझे लगता है कि पहले भाग के तहत परिकल्पित रिपोर्टिंग प्राधिकारी को तत्काल वरिष्ठ प्राधिकारी होना चाहिए। मेरे विचार में, वह प्राधिकारी अनिवार्य रूप से उसी सेवा क्षेत्र का वरिष्ठ अधिकारी होना चाहिए, न कि किसी अन्य पंक्ति या सेवा से। 'तत्काल श्रेष्ठ' शब्दों का प्रयोग करके स्पष्ट संकेत दिया गया है कि प्राधिकारी उसी सेवा से होना चाहिए। संदर्भ में 'तत्काल' शब्द का अर्थ पंक्ति या संबंध में अगला होना होगा, जबकि 'श्रेष्ठ' शब्द का अर्थ एक ऐसा अधिकारी होगा जो रैंक, स्थिति या कार्यालय में दूसरे से ऊपर है। यदि इरादा किसी अन्य सेवा के अधिकारी को गोपनीय रिपोर्ट लिखने की अन्मति देने का होता तो 'त्रंत' शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। किसी भिन्न सेवा का अधिकारी उस भिन्न सेवा के व्यक्ति से तत्काल वरिष्ठ अधिकारी नहीं हो सकता जिसकी रिपोर्ट उसे लिखनी हो। इसके अलावा, पहले भाग के तहत, तत्काल वरिष्ठ अधिकारी अपनी श्रेष्ठ स्थिति और रैंक के आधार पर स्वचालित रूप से रिपोर्टिंग प्राधिकारी बन जाता है। उनके मामले में सरकार को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है. रैंक और स्थिति की श्रेष्ठता हमेशा उस क़ानून के संदर्भ में होती है जो सेवा को नियंत्रित करती है। यह मेरी समझ से परे है कि पहले भाग के तहत एक भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी, चाहे वह कितना भी वरिष्ठ क्यों न हो, एक प्लिस अधिकारी से त्रंत वरिष्ठ अधिकारी बन जाएगा, खासकर जब दोनों सेवाएं पूरी तरह से अलग हों। प्लिस बल में प्लिस महानिरीक्षक का पद सर्वोच्च होता है। उनकी स्थिति का वर्णन पंजाब प्लिस नियम, 1934, खंड I के नियम 1.2 में किया गया है, जो इस प्रकार है: -

"पूरे सामान्य पुलिस जिले में पुलिस बल की कमान, उसकी भर्ती, अनुशासन, आंतरिक अर्थव्यवस्था और प्रशासन की जिम्मेदारी पुलिस महानिरीक्षक में निहित है। वह पुलिस विभाग का प्रमुख है, और इसके निर्देशन और नियंत्रण के लिए और इससे जुड़े सभी मामलों में प्रांतीय सरकार को सलाह देने के लिए जिम्मेदार है। महानिरीक्षक के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में और सरकार के आदेश के कार्यान्वयन में वह पुलिस अधिनियम (1861 के वी) में निहित बल के कार्यों, अनुशासन और प्रशासन के संबंध में प्रणाली और विनियमों के अनुरूप कार्य करने के लिए बाध्य है और इन नियमों में पुलिस बल को पूर्ण या आंशिक रूप से प्रभावित करने वाले प्रांतीय सरकार के आदेश उसके माध्यम से जारी किए जाएंगे।

- महानिरीक्षक को पुलिस बल के नियंत्रण और प्रशासन में इतनी संख्या में उप-महानिरीक्षक और सहायक महानिरीक्षक द्वारा सहायता प्रदान की जाती है जितनी प्रांतीय सरकार समय-समय पर नियुक्त कर सकती है"
- 12.उपरोक्त नियम का अवलोकन करने से पता चलता है कि महानिरीक्षक विभाग का प्रमुख होता है। पुलिस बल को पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से प्रभावित करने वाले प्रांतीय सरकार के आदेश उसके माध्यम से जारी किये जाते हैं। पुलिस अिधनियम, 1961 नामक एक अिधनियम भी है, जो पुलिस के कामकाज को नियंत्रित करता है। अिधनियम की धारा 3 में प्रावधान है कि एक सामान्य पुलिस-जिले में पुलिस का अधीक्षण उस राज्य सरकार में निहित होगा और उसका प्रयोग किया जाएगा जिसके अधीन ऐसा जिला है। धारा 4 के तहत, एक सामान्य पुलिस-जिले में पुलिस का प्रशासन पुलिस महानिरीक्षक और ऐसे उप-महानिरीक्षक और सहायक महानिरीक्षक में निहित है, जिन्हें राज्य सरकार उचित समझेगी। धारा 7 महानिरीक्षक और उसके नीचे के अन्य अधिकारियों को उपयुक्त मामलों में बर्खास्तगी, निलंबन और कटौती का दंड लगाने की शक्तियां प्रदान करती है, जो निश्चित रूप से संविधान के अनुच्छेद 311 के प्रावधानों और अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के अधीन है। इसके अलावा, महानिरीक्षक द्वारा धारा 7 के तहत पारित आदेश के खिलाफ सरकार के समक्ष अपील की जा सकती है।
- 13.अधिनियम और नियमों के कुछ प्रावधानों को संदर्भित करने का मेरा उद्देश्य यह सामने लाना है कि राज्य में पुलिस बल महानिरीक्षक के पूर्ण नियंत्रण में है और उसके बाद अधीक्षण की शक्ति राज्य सरकार को दी गई है। पुलिस अधिनियम और नियमों के तहत गृह सचिव का कहीं उल्लेख नहीं है। राज्य सरकार का मतलब केवल गृह मंत्री होगा जिसके प्रभार और नियंत्रण में पुलिस विभाग आता है। मामले के इस दृष्टिकोण में, मुझे लगता है कि गृह सचिव अपीलकर्ता का तत्काल विरेष्ठ प्राधिकारी नहीं है, जो खंड (ई) के पहले भाग के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए गोपनीय रिपोर्ट लिखने की गारंटी दे सकता है। उपरोक्त निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद, अगला प्रश्न जिस पर निर्णय की आवश्यकता है वह यह है कि खंड (ई) के पहले भाग के तहत अपीलकर्ता का तत्काल विरेष्ठ प्राधिकारी कौन होगा। निर्णय के पहले भाग में चर्चा के प्रकाश में , यह बिल्कुल स्पष्ट है कि पदानुक्रम में अपीलकर्ता से तत्काल ऊपर कोई प्राधिकारी नहीं है। ऐसा होने पर, सख्ती से कहें तो ऐसा कोई प्राधिकारी नहीं है जो खंड (ई) के पहले भाग के तहत पुलिस महानिरीक्षक की गोपनीय रिपोर्ट लिख सके। लेकिन अधीक्षण और नियंत्रण सरकार का होने के कारण, एक निष्पक्ष और उचित निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि गृह मंत्री, जो गृह विभाग

का प्रभारी है, जिसकी पुलिस विभाग भी एक शाखा है, तत्काल वरिष्ठ प्राधिकारी होगा और नियम (2) के खंड (ई) के प्रथम भाग के तहत उसकी गोपनीय रिपोर्ट लिख सकता है। मेरे इस निष्कर्ष को इस तथ्य से पूर्ण समर्थन मिलता है कि याचिका में पैरा 14 में विशेष रूप से आग्रह किया गया है और लिखित बयान में इनकार नहीं किया गया है, कि सरकार के विभिन्न सचिवों के काम और आचरण पर रिपोर्ट लिखी और दर्ज की जाती हैं। संबंधित विभाग के प्रभारी मंत्री और मुख्य सचिव भी नहीं. यदि सचिवों के मामले में गोपनीय रिपोर्ट प्रभारी मंत्रियों द्वारा लिखी जाती है, तो निश्चित रूप से पुलिस महानिरीक्षक के मामले में, जो पुलिस विभाग का प्रभारी है, वह प्रभारी मंत्री के अलावा कोई और नहीं होगा जो उसकी गोपनीय रिपोर्ट लिख सके। अगला प्रश्न जो निर्धारण हेतु उठता है वह यह है कि गोपनीय रिपोर्ट लिखने के लिए

- 14.अगला प्रश्न जो निर्धारण हेत् उठता है वह यह है कि गोपनीय रिपोर्ट लिखने के लिए विभाग द्वारा किस प्राधिकारी को विशेष रूप से सशक्त किया जा सकता है। प्रारंभ में यह देखा जा सकता है कि विदवान महाधिवक्ता का यह तर्क कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह उस अधिकारी से कमतर स्तर का ही क्यों न हो, जिसकी गोपनीय रिपोर्ट लिखी जानी है, को रिपोर्टिंग प्राधिकारी के रूप में निर्दिष्ट किया जा सकता है, प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है भ्रामक होना और हमारे लिए अस्वीकार्य है। गोपनीय रिपोर्ट हमेशा उस अधिकारी से वरिष्ठ अधिकारी द्वारा लिखी जाती है जिसकी रिपोर्ट उसे लिखनी होती है। यह मेरी समझ से परे है कि एक प्लिस उप महानिरीक्षक या एक प्लिस अधीक्षक या रैंक और स्थिति में कमतर किसी अन्य प्राधिकारी को उस प्लिस महानिरीक्षक की गोपनीय रिपोर्ट लिखने के लिए कहा जा सकता है जो हर तरह से उससे बेहतर है। जिस प्राधिकारी को गोपनीय रिपोर्ट लिखने की आवश्यकता है, उसे अधिकारी के काम को जानने और देखने का लाभ होना चाहिए। कोई कनिष्ठ अधिकारी अपने वरिष्ठ अधिकारी के काम को कैसे परख सकता है, यह समझ से परे है। खंड (ई) के दूसरे भाग को पहले भाग से अलग या स्वतंत्र रूप से नहीं पढ़ा जा सकता है। जब पहले भाग के तहत प्राधिकारी को स्थिति में श्रेष्ठ होना है, तो निश्चित रूप से सरकार को प्राधिकार निर्दिष्ट करते समय स्थिति की श्रेष्ठता का ध्यान रखना होगा। मामले के इस दृष्टिकोण में, मुझे यह निष्कर्ष निकालने में कोई कठिनाई नहीं है कि खंड (ई) के दूसरे भाग के तहत निर्दिष्ट किया जाने वाला प्राधिकारी उस अधिकारी से स्थिति और रैंक में बेहतर होना चाहिए जिसकी गोपनीय रिपोर्ट लिखी जानी है।
- 15. मैंने ऊपर जो विचार किया है उसमें यह है कि प्रभारी मंत्री ही खंड (ई) के पहले भाग के तहत पुलिस महानिरीक्षक की गोपनीय रिपोर्ट लिख सकता है और खंड (ई) के उत्तरार्ध के तहत यह है कि वह प्राधिकारी जो खंड (ई) के पहले भाग में निर्दिष्ट

प्राधिकारी के बराबर या उससे अधिक स्थिति में है, जिसे गोपनीय रिपोर्ट लिखने के लिए निर्दिष्ट किया जा सकता है, गृह सचिव की स्थिति निर्धारित करने के लिए चर्चा पुलिस महानिरीक्षक अनावश्यक हो जाता है। फिर भी मामले के इस पहलू पर किसी भी चर्चा के अभाव में उच्च न्यायालय के लिए किसी भी बाधा से बचने के लिए, मैं इस पर भी विचार करना उचित समझता हूं।

16.हरियाणा सरकार के कामकाज के नियम, 1977 के अन्सार, 'राज्य सरकार' का अर्थ मंत्रिपरिषद/विभिन्न विभागों के प्रभारी मंत्री से है। सचिव कार्य नियमों के नियम 18 और 19 के तहत संबंधित विभागों के प्रभारी मंत्रियों दवारा उनके दवारा जारी किए गए स्थायी आदेशों में दी गई शक्तियों की सीमा तक ही सरकार की ओर से कार्य करते हैं। विभाग के एक सचिव इसका प्रशासनिक प्रमुख होता है। उसके पास अपनी कोई सरकारी शक्तियां और कार्य नहीं होते हैं। यदि कोई व्यवसाय विभाग के सचिव दवारा निपटाया जाना माना जाता है और अपेक्षित होता है, तो वह अनिवार्य रूप से सरकार की ओर से केवल उसी सीमा तक कार्य करता है जितनी प्रभारी मंत्री दवारा स्थायी आदेशों में उन्हें शक्तियाँ दी गईं। राज्य ने अपने रिटर्न के साथ गृह मंत्री, हरियाणा के स्थायी आदेशों की एक प्रति, अन्लग्नक आर-2 संलग्न की है, जिसमें गृह मंत्री को प्रस्त्त किए जाने वाले मामलों के प्रकार, गृह सचिव द्वारा निपटाए जाने वाले मामलों के प्रकार, को दर्शाया गया है। उप सचिव गृह द्वारा निपटाए जाने वाले मामलों के प्रकार, और अन्भाग अधिकारी-गृह द्वारा निपटाए जाने वाले मामलों के प्रकार। यह सही है कि प्रशासन के उद्देश्य से प्लिस विभाग को गृह विभाग के एक भाग के रूप में दिखाया गया है और पुलिस विभाग से संबंधित कुछ नियमित फाइलें हॉर्न सचिव द्वारा निपटाई जाती हैं, लेकिन यह सब इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता है कि गृह सचिव, किसी भी तरह से, पुलिस महानिरीक्षक की स्थिति से बेहतर होता है, जिसके पास फिर से पुलिस विभाग का पूर्ण स्वतंत्र प्रभार होता है। यह देखना उचित होगा कि व्यावसायिक नियमों के तहत, गृह सचिव के पास पुलिस के राजपत्रित अधिकारियों के संबंध में किसी भी अन्शासनात्मक मामले से निपटने की कोई शक्ति नहीं है। हमारा ध्यान प्राथमिकता वारंट में आइटम नंबर 27 की ओर आकर्षित किया गया था जो इस प्रकार है: -

"27. अध्यक्ष, आयकर न्यायाधिकरण। प्रभागों के आयुक्त। आयुक्त सचिव, पुलिस महानिरीक्षक, लोक सेवा आयोग के सदस्य, सरकार के सचिव" विद्वान महाधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत करने की कोशिश की गई थी कि पुलिस महानिरीक्षक को आयुक्त सचिवों के बाद दिखाया गया है, जिसका अर्थ यह होगा कि वह रैंक और स्थिति में आयुक्त सचिवों से कनिष्ठ है। मुझे डर है कि, वरीयता वारंट

में उपरोक्त प्रविष्टि के आधार पर यह नहीं माना जा सकता है कि पुलिस महानिरीक्षक गृह सचिव से कनिष्ठ है। उपरोक्त प्रविष्टि के अंतर्गत औपचारिक अवसरों के प्रयोजन हेतु सात श्रेणियां गिनाई गई हैं। इस प्राथमिकता की राज्य सरकार के दिन-प्रतिदिन के कामकाज पर कोई प्रयोज्यता नहीं है जैसा कि प्राथमिकता के वारंट में नोट (1) से स्पष्ट है। इसके अलावा, यह प्रविष्टि पत्र के मद्देनजर सभी महत्व खो देती है, जिसकी प्रति याचिका के साथ अनुलग्नक पी-3 के रूप में संलग्न है, जिसमें यह इस प्रकार कहा गया है: -

"पुलिस महानिरीक्षक के महत्व को ध्यान में रखते हुए, यह निर्णय लिया गया है कि राज्य और औपचारिक अवसरों पर उन्हें आयुक्त रैंक के सभी राज्य अधिकारियों से ऊपर प्राथमिकता दी जानी चाहिए। वह किसी भी मामले में मुख्य सचिव से नीचे प्राथमिकता लेंगे।" राजस्व बोर्ड के वरिष्ठ/प्रथम सदस्य और ऐसे अन्य अधिकारी जो अपने स्वयं के डिवीजनों के भीतर क्षेत्रीय डिवीजनों के आयुक्त को छोड़कर भारत सरकार के संयुक्त सचिवों की तुलना में उच्च स्तर के हैं"

विद्वान महाधिवक्ता कोई अन्य प्रासंगिक दस्तावेज नहीं बता सके जिसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि गृह सचिव का दर्जा पुलिस महानिरीक्षक से ऊंचा है। इस मामले को देखते हुए, मैं यह मानने के लिए बाध्य हूं कि गृह सचिव का दर्जा प्लिस महानिरीक्षक से अधिक नहीं है।

- 17.किसी भी पक्ष की ओर से कोई अन्य म्द्दा नहीं उठाया गया।
- 18. उपर दर्ज कारणों से, हम इस अपील को स्वीकार करते हैं, विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले को रद्द करते हैं और अपीलकर्ता के काम और आचरण पर तत्कालीन गृह सिचव श्री एलडी कटारिया द्वारा लिखी गई गोपनीय रिपोर्ट को रद्द करते हैं। मामले की परिस्थितियों में, हम लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं देते हैं।

अस्वीकरणः स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

> आशीष कुमार मंडल प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी फिरोज़पुर झिरका, नूंह